

F.No.A.40011/1/2020-Admn.-II
The National Institute of Health & Family Welfare

Baba Gangnath Marg, Munirka,
New Delhi-110067
Dated: 11/02/2021

NOTICE INVITING APPLICATIONS

Sub: Empanelment of retired officers as the Inquiry Officers for conducting Departmental Inquiries – reg.

Applications are invited in the prescribed format (copy enclosed) from willing and eligible retired officers of the rank of Deputy Secretary and above in the Central Government and equivalent officers in the State Governments/PSUs to serve as Inquiry Officers for conducting departmental inquiry against officers/officials of The National Institute of Health & Family Welfare at New Delhi. The Inquiry Officer shall conduct the inquiry proceedings in the official premises provided by the Institute. Preference will be given to eligible persons residing at Delhi and NCR area. TA will be admissible to the officers for conducting inquiry as per the relevant rules/Guidelines of the Govt. of India.

2. The eligibility conditions for appointment of willing retired officers as the Inquiry Officers to conduct departmental inquiries, will be as under:-

- (i) Retired officers who are willing to serve as Inquiry Officer.
- (ii) He/she should not have been penalized in a Disciplinary Proceeding case (no penalty in DP or prosecution in criminal case).

3. The applications will be screened by a three member Committee of officers of Professor level in the NIHFV and the recommendations of the Committee will be placed before the competent authority for his approval. The decision of the competent authority shall be final.

4. The panel will be valid for a period of three years.

5. The number of disciplinary cases assigned to an Inquiry Officer may be restricted to 08 cases in a year, with not more than 4 cases at a time. However, empanelment as Inquiry Officer will not guarantee that an officer is mandatorily assigned an inquiry and the same will be subject to availability of work.

Contd...

6. The terms and conditions for appointment of retired officers as the Inquiry Officer will be governed by DOP&T's OM F.No.142/40/2015-AVD.I, dated 15/09/2017 as amended from time to time.
7. Applications, complete in all respect, should reach the undersigned on or before **2nd March, 2021.**
8. This issues with the approval of Director,NIHFW.

Encls.: As above.


Deputy Director (Admn.)

Copy to:

1. Incharge, Computer Centre, NIHFW - with a request to publish this Notice on the website of the NIHFW.

**APPLICATION FOR APPOINTMENT OF RETIRED GOVERNMENT SERVANTS AS THE INQUIRY
OFFICER TO CONDUCT DEPARTMENTAL INQUIRY**

1. **Name of the Officer** :
(In capital letters)
2. **Date of retirement from Govt. service** :
(Enclose copy of Identity Card issued
for Pensioners)
3. **Age on the date of submitting the application** :
4. **Last Post held before retirement** :
5. **Details of the Ministry and posts held during:
the service**

| Ministry/Department | Post | Period | | Duties/functions carried in relation to Vigilance/Inquiry, if any |
|---------------------|------|--------|----|---|
| | | From | To | |
| | | | | |

6. **Have you ever assigned the responsibility of :**
Inquiry Officer
If yes, the details thereof
7. **Whether retired on attaining the age of** :
Superannuation or voluntary retirement
8. **Whether any penalty was imposed during** :
the service

If yes, the detail thereof :

Place:
Date:

Name and signature
Permanent/Present Address &
Contact Number

(The empanelment of retired officers for their appointment as the Inquiry Officer will be done by a Committee comprising of three Joint Secretary level officers including CVO of the concerned Ministry/Department/PSUs)

दिनांक: 11/02/2021

आवेदन सूचना

विषय: विभागीय जांच संचालन हेतु जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों के मनोनयन के बारे में।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यान्वित करने हेतु जांच अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार में उप सचिव तथा उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी तथा राज्य सरकार/सरकारी संगठन में समकक्ष स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में (प्रतिलिपि संलग्न) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित जांच अधिकारी संस्थान द्वारा दिए गए आधिकारिक परिसर में जांच की कार्यवाही संचालित करेगा। दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जांच प्रक्रिया संचालित करने के लिए जांच अधिकारी को कोई यात्रा भत्ता भत्ता देय होगा।

2. विभागीय जांच के संचालन के लिए जांच अधिकारियों के रूप में इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पात्रता के नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं-

- सेवानिवृत्त अधिकारी जो जांच अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं।
- उन्हें किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में दंडित न किया गया हो।
(विभागीय कार्यवाही आपराधिक मामले में अभियोजन के रूप में कोई भी जुर्माना न किया गया हो)

3. आवेदनों की जांच संस्थान के प्रोफेसर स्तर के अधिकारियों की 3 सदस्य समिति द्वारा की जाएगी।


4. यह पैनल 3 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा।

5. एक जांच अधिकारी को 1 वर्ष में अनुशासनात्मक कार्यवाही के 8 मामले ही दिए जाएंगे जिसमें एक समय में 4 मामलों से अधिक मामले नहीं दिए जाएंगे। जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर उक्त अधिकारी को जांच सौंपा जाना अनिवार्य नहीं होगा, कार्य की उपलब्धता के अनुसार ही जांच संबंधी कार्य सौंपा जाएगा।

6. सेवानिवृत्त अधिकारी की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 142/40/ 2015 ईवीडी-1, दिनांक 15.9.2017(समय-समय पर संशोधित) के अनुसार शासित होंगी।

7. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन अधोहस्ताक्षरी तक 2 मार्च 2021 या उससे पूर्व पहुंचने चाहिए।

8. यह नोटिस निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जाता है।


उप निदेशक(प्रशासन)

संलग्नक : यथोपरि

प्रति प्रेषित:

प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र रास्वापक संस्थान - कृपया उक्त नोटिस को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

विभागीय जांच संचालन हेतु जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त संबंधित सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन

1. अधिकारी का नाम :
(बड़े अक्षरों में)
2. सरकार से सेवानिवृत्ति की तिथि :
(पेंशनरों के लिए जारी आइडेंटिटी कार्ड करने की कॉपी संलग्न करें)
3. आवेदन जमा करने की तिथि पर आयु :
4. सेवानिवृत्ति से पहले धारित पद :
5. सेवा के दौरान मंत्रालय तथा धारित पद का विवरण :

| मंत्रालय/विभाग | पदनाम | अवधि | | सतर्कता / जांच के संबंध में किए गए कर्तव्य /जांच /कर्तव्य (कार्य) /, यदि कोई हो |
|----------------|-------|-------|-------|---|
| | | कब से | कब तक | |
| | | | | |

6. क्या आपने कभी जांच अधिकारी के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है :

यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें:

7. क्या आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं :
अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।

8. क्या सेवा के दौरान कोई जुर्माना लगाया गया था :
यदि हाँ, तो उसका विवरण दें:

नाम और हस्ताक्षर
स्थायी/वर्तमान पता एवं दूरभाष

स्थान:
दिनांक:

(सेवानिवृत्त अधिकारियों की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक उपक्रमों के सी.वी.ओ. सहित तीन संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा)